

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स मुकद्मा अवेरगत विपक्षी १८९
 पत्रावली संख्या २५५/१० सन् _____

संक्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
21/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>19/5/21</u> को पेश हो।	
19/5/21	पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>20/6/21</u> को पेश हो।	
30/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>25/8/21</u> को पेश हो।	
25/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>14/9/21</u> को पेश हो।	
14/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>12/10/21</u> को पेश हो।	
14/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>9/11/21</u> को पेश हो।	



SDO मावली

02/11/24
 'प्रशासन गांवों के
 अभियान-2021' आयोजित किया जाने
 से पत्रावली में अधिवक्ता पत्रकारानको
 सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-...
 दिनांक...को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रेक) मावली

07/12/24
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक...को पेश हो।

सहायक कलक्टर

29/11/24

पत्रावली कैम्प बीमल में पेश 52)
 तहसीलदार मावली से डाफ रिपोर्ट के
 अवलोकन किया। पत्रावली में वासी की
 फॉट हो चुका है। अधिवक्ता वासी द्वारा
 वार्डन कायम नहीं कराया गया है।
 वासी फॉट क्षेत्र में अन्न सौं 5/यंगरी
 क्षेत्र नहीं रहती। अतः पत्रावली इसी
 स्तर पर ड्राप की जाती है।
 पत्रावली कैम्पल बुकाए होकर
 नाम (में रखा है)



गिरिधर कुमार शर्मा